

प्रेस नोट संख्या- 03

दिनांक 02.07.2024

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 04 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस किया गया चरुपा ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.07.2024 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री दयाशंकर मिश्रा थानाध्यक्ष भाले सुल्तान शहीद स्मारक मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 43/24 धारा 2(ख)(1)/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 में वांछित शातिर अभियुक्तों 1.मनोज यादव पुत्र हरीराम यादव निवासी ग्राम लाला का पुरवा मजरे सम्भावा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी, 2.मनीष यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र रामऔतार यादव निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना व जनपद अमेठी, 3.वशीर खाँ पुत्र मोबीन खाँ निवासी ग्राम भदौर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी, 4.सलमान पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम भदौर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी के विरुद्ध मा0 न्यायालय में धारा 82 द0प्र0सं0 की नोटिस प्राप्त कर अभियुक्तगण के घरों पर गवाहों के समक्ष नियमानुसार मुनादी कराकर चरुपा कराया गया एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । अभियुक्तगण द्वारा भविष्य में गिरफ्तारी/मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण न करने पर अन्तर्गत धारा 83 द0प्र0सं0 की कार्यवाही की जायेगी ।

#### अभियुक्तों का विवरण:-

1. मनोज यादव पुत्र हरीराम यादव निवासी ग्राम लाला का पुरवा मजरे सम्भावा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. मनीष यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र रामऔतार यादव निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना व जनपद अमेठी ।
3. वशीर खाँ पुत्र मोबीन खाँ निवासी ग्राम भदौर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी
4. सलमान पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम भदौर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी

#### पुलिस टीम-

1. क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह ।
2. उ0नि0 श्री दयाशंकर मिश्रा थानाध्यक्ष भाले सुल्तान शहीद स्मारक मय हमराह ।